फर्द अहकाम

नाम न्यायालय जगदीशनारायण बनाम इन्द्रकुमार आदि

केस संख्या 184/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
7,8,9 प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उप. 12/5/25	12/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी 7, 8, 9 की ओर दस्तावेजात मय सूची पेश की एक हकत्याग। दिनांकित 6/9/21 का पेश किया शामिल हो। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 व 5 ने प्रतिवादी संख्या के पक्ष में हकत्याग। किया तथा दूसरा दस्तावेज विक्रयपत्र दिनांकित 24/11/21 का पेश किया शामिल हो जिसके प्रतिवादी संख्या 6 ने प्रति. 16 को विक्रय जरिये बयानपत्र कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 15 सहवन से अंकित हो गया जिसका नाम दर्ज किया जावे साथ प्रतिवादी संख्या 9 टिंकू उर्फ विकास एक ही व्यक्ति है। पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामा रूप में पत्रावली में संलग्न है जो दिनांकित 3/2/24 का पेश किया हुआ है जो आदेशिका में अंकित है। पत्रावली वास्ते राजीनामा तस्दीक करने हेतु दिनांक 27/5/25 को पेश हो। उप-खण्ड [illegible] [illegible]पुर (द्वितीय)
	27/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वादिया का दावा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियम से कार्यवाही बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी [illegible]पुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

...अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
...संख्या : 184 / 2022
...दिनांक: 27.05.2025

सुनवाई

...नारायण पुत्र स्व० श्री गौरीलाल
...नारायण पुत्र स्व० श्री गौरीलाल
...नारायण पुत्र स्व० श्री गौरीलाल
...नारायण पुत्र स्व० श्री गौरीलाल
...वीर पुत्र स्व० श्री गौरीलाल
...श्याम पुत्र स्व० श्री गौरीलाल
...समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

...कुमार पुत्र स्व0 गौरीलाल
1. आशा देवी पुत्री स्व० रामजीलाल
2. माया देवी पुत्री स्व० रामजीलाल
3. पपली देवी पुत्री स्व० रामजीलाल
4. मीरा देवी पत्नी स्व० रामजीलाल
5. रेखा देवी पुत्री स्व० रामजीलाल
6. सजना देवी पत्नी स्व० हरिनारायण
7. कोमल पुत्री स्व० हरिनारायण
8. टीटू पुत्र स्व० हरिनारायण
9. सोनू कुमावत पुत्र रामजीलाल
10. सावित्री पत्नी स्व० श्री राधेश्याम
11. अर्जुन पुत्र स्व० श्री राधेश्याम
12. ताराचंद पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम
13. गुड्डी पुत्री स्व0 श्री राधेश्याम
14. बबली पुत्री राधेश्याम
15. समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
16. तुलसीराम यादव पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी बाजणी तलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
17. मोहन लाल चौधरी पुत्र श्री सुवालाल जाति जाट निवासी ग्राम जोतडावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
19. उप पंजीयक सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
20. सुमन यादव

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण ने वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 2160 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2231 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2232 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2233 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2234 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2235 रकबा 0.28

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

[illegible] नम्बर [illegible] रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2237 रकबा 0.34 हैक्टेयर, [illegible] नम्बर [illegible] रकबा 0.0[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2239 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.0[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2241 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2406 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2587 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 4.62 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2276 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर वाके ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, को "विवादित भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का वादीगण अपने-अपने हिस्से के हिसाब से खातेदार काश्तकार है और अपने अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज होकर मौके पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक बंटवारा नही हुआ है, एवं आपसी सहमति व मनबंट के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बार-बार आग्रह किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात का विधिक बंटवारा जमाबन्दी में अपने पूर्व में हुये बाहमी बंटवारा अनुसार करवा करवा लो। जिस पर प्रतिवादीगण बंटवारा करवाने की हामी भरते रहे। लेकिन विधिक बंटवारा करवाने के लिये आज दिनांक तक तैयार नहीं हुये है। दिनांक 18.07.20223 को जब वादीगण खसरा नम्बर 2587 की भूमि की सार संभाल कर रहे थे तो मौके पर प्रतिवादीगण 5-7 अनभिज्ञ व्यक्तियों के साथ आये जिनके आने का कारण वादीगण ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जमीन अनभिज्ञ व्यक्तियों को बैचान कर दी है और अब यह कब्जा लेने आये हैं जिस पर वादीगण ने बिना बंटवारा कराये जमीन बेचकर कब्जा विशिष्ट भू-भाग पर करने से मना तो प्रतिवादीगण झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये और एलानियां कहा कि हमने तो जमीन बेच दी है अब खरीददार जहां चाहेगा वहां कब्जा करेगा। इस कारण वाद बावत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया। चूँकि प्रतिवादीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों पर अडिग है इसलिये वादीगण को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय हाजा के जरिये इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवा दें कि वाद पत्र की मद नंबर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जा-काश्तशुदा कृषि भूमि के' किसी भी भाग में वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा-काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत, बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप करने और बाहुबल के आधार पर नाजायज़ कब्ज़ा/अतिक्रमण, अन्य करने से निषेद और अवसर की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि प्रतिवादीगण अपनी बैजा गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है ऐसी स्थिति में वादीगण को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाकर प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...आदेश निषेधाज्ञा से पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। बिनायदावा दिनांक ... को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादीगण को उसकी खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा विवादित भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने की एलानियां धमकी दी जो निरन्तर जारी है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जावें कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 का वाद बाबत् तकासमा डिक्री किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्रस कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये वादीगण के हक व हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में पृथक से दर्ज किया जाकर लगान सरकारी कायम किया जावे। वाद पत्र की मद नंबर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बरान् के किसी भी भाग में वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत, बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप करने तथा बाहुबल के आधार पर विवादित भूमि में नाजायज प्रवेश करने, नाजायज कब्जा/अतिक्रमण, इत्यादि करने से निषेद्ध रहें और मौका की यथास्थिति बनायीं रखे, की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाने की कृपा करें।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 5, 10 लगायत 14 व 17 की ओर से इस आशय से जवाब पेश किया कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को पूर्व में कृषि भूमि का विधिक बटवारा करवाने हेतु कभी भी आग्रह नही किया तथा ना ही प्रतिवादीगण ने भूमि के विधिक बटवारे के लिए आनाकानी नही की मिन वादी की भांति ही बटवारा करवाने के लिए तैयार है अतः जवाब दावा प्रस्तूत कर निवेदन है कि वादी का वाद मिटस एवं बाउण्डस एवं कब्जे के आधार पर डिक्री कर दिया जाता है तो मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 7 से 9 ने इस आशय से जवाब पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 7 से 9 मिन वादी की भांति ही बटवारा करवाने के लिए तैयार है। प्रतिवादी संख्या 20 ने इस आशय से जवाब पेश किया कि प्रतिवादी को सूने बिना तकासमा करवाने के वादी अधिकारी नही है। अतः प्रतिवादी संख्या 20 को शामिल करते हुए तकासमा किया जावे। प्रतिवादी संख्या 16 ने दिनांक 17.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी इस आशय से पेश किया कि वादी का वाद तकासमा पक्षकारो का हिस्सा अंकित न होने के कारण पोषणिय नही है। मद संख्या 5 में केवल खसरा नमबर 2587 वाद कारण उत्पन्न नही होने का कथन है जबकि वादीगण ने वादपत्र में 16 खसरो का अंकन किया है अतः वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करावें जिसका दिनांक 06.05.2025 वादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 16 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रकरण को देरी करने की नियत से विधि विरूद्ध होने से मय हर्जे खर्चे

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

[illegible] के आदेश देने की कृपा करावें। पत्रावली में बहस की गई [illegible] आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किये [illegible] 10.06.2024 को [illegible] व पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2, 8, 15, 16 के जवाब हेतु नियत [illegible] के आदेश किये गये। [illegible] दिनांक 10.06.2024 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] नियम 3 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् राजीनामा पेश किया।

[illegible] उभयपक्षकारान सुनी गयी। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित [illegible] को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार [illegible] इस प्रकार डिक्री किया जावें कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 का वाद [illegible] डिक्री किया जाकर भाई शेयर पृथक बाउण्ड्री काबिज काश्त की प्राथमिकता [illegible] वादीगण के हक व हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में पृथक से दर्ज किया [illegible] लगान सरकारी कायम किया जावे। वाद पत्र की मद नंबर 1 में उल्लेखित राजस्व [illegible] सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जा-काश्तशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बरान के किसी भी भाग में वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा-काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत, बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप करने तथा बाहुबल के आधार पर विवादित भूमि में नाजायज प्रवेश करने, नाजायज कब्जा/अतिक्रमण, इत्यादि करने से निषेद्ध रहें और मौका की यथास्थिति बनायी रखे, की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाने की कृपा करें।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा-काश्तशुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 2160 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2231 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2232 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2233 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2234 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2235 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2236 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2237 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2238 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2239 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2240 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2241 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2274 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2406 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2587 रकबा 0.85 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 4.52 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2276 रकबा 0.66 हैक्टेयर वाके ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और अपने अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज होकर मौके पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक बंटवारा नही हुआ है, एवं आपसी सहमति व मनवंट के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों पक्षकारो ने सहमति से बटवारानामा राजीना प्रस्तुत कर कथन किया है कि बटवारे में उल्लेखित तथ्यो को ध्यान में रखते हुए तकासमा दोनो पक्षो के प्रस्तुत राजीनामें कु अनुसार 1/2–1/2 हिस्सा होने पर यह बटवारा करने को तैयार हे। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बटवारानामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार सांगानेर मूल राजीनामा सहमति के आधार पर नियमानुसार बटवारा करे। व इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर